संचिका संख्या–15/औ0–31–05/17........................./स्वा0

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

राज्य औषधि नियंत्रक,
बिहार, पटना

सभी सहायक औषधि नियंत्रक,
बिहार।

पटना, दिनांक– / /2017

विषय– औषधि विक्रय/निर्माण हेतु नवीन अनुज्ञप्ति निर्गत पर लगे रोक के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि विभागीय पत्रांक– 245(15), दिनांक – 02.03.2017 द्वारा लगाये गये रोक के प्रति विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अभ्यावेदनों एवं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जैसे महत्वाकांक्षी परियोजना के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया है :–

1. प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत खुलने वाले जन औषधि केन्द्रो को नयी अनुज्ञप्ति नियमानुसार प्रदान की जायेगी। उक्त परियोजना के अन्तर्गन खुलने वाले औषधि प्रतिष्ठानों में कार्यरत रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का वेतन भुगतान, आधार सिडेड बैंक एकाउन्ट के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही फार्मासिस्ट इस संदर्भ में शपथ पत्र भी देंगे। यदि कोई फार्मासिस्ट एक से अधिक औषधि प्रतिष्ठान में कार्यरत पाया गया तो नियमानुसार प्राथमिकी/मुकदमा दर्ज की जाएगी तथा उनके निबंधन को रद्द करने की अनुशंसा की जाएगी।
2. औषधि निर्माण से संबंधित आवेदन प्राप्त करने एवं अनुज्ञप्ति निर्गत करने पर लगायी गयी रोक हटाई जाती है।

उपर्युक्त हद तक विभागीय पत्रांक– 245(15), दिनांक– 02.03.2017 को संशोधित समझा जाए तथा उक्त पत्र में अंकित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

विश्वासभाजन
ह0/–
सरकार के अवर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 310(15) पटना, दिनांक– 28.03.2017

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को विभागीय बेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

28/3/17
सरकार के अवर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना